न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा)

वाद संख्या :– 02/91/2016

<u>सूरजमल बनाम रामकिशोर वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 12.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 13.06.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1337/0.49, 1338/0.47, 1339/2069/0.07 है. वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.08.2016 तक इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 11.08.2016 को वकालतनामा पेश हुआ परन्तु बार–बार अवसर दिए जाने के उपरांत अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। जवाब के अभाव में प्रकरण वर्ष 2016 से लम्बित चल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1337/0.49, 1338/0.47, 1339/2069/0.07 है. वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 13.06.2016 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट ढिगावडा)